



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1943 (श०)
(सं० पटना 26) पटना, बुधवार, 19 जनवरी 2022

ifjogu foHkx

अधिसूचना

14 जनवरी 2022

सं० 05/स्था०-01-03/2021-235—जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त पत्रांक-684 दिनांक 20.07.2021 के आलोक में मो० जफर हसन, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रजौली को अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी, रजौली चेकपोस्ट, नवादा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए मो० जफर हसन को करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 26-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>